Massacre of Dalits in Jahanabad

\$*23. SHRI JALALUDIN ANSARI:
SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the recent massacre of 21 Dalits in Jahanabad district in Bihar by Ranvir Sena of the rich landlords;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) According to information received from the State Government, on January 25, 1999, in the night, Ranvir Sena activists attacked Shankarbigha Tola, PS Mehandia, District Jehanabad. 22 persons were killed in this incident. Besides, 10 persons were injured. Those killed included 9 males, 5 females and 8 children. A case under sections 147/148/302/307/324 IPC, 27 Arms Act and 3/4 Harijan Atyachar Nivaran Adhiniyam was registered in this connection 32 persons have been arrested so far.

The Government condemns all acts of violence. A multi-faceted approach is called for to tackle the ongoing violence in Bihar.

After assessing, inter alia, the law and order situation in the State, Bihar has been placed under President's rule, by invoking the provisions of article 356 of the Constitution of India, with effect from 12.2.199.

\$Starred Question Nos. 23 and 27 were taken together.

†The question was actually asked on the floo of the House bv Shri Jalaludin Ansari.

बिहार में सेनाओं द्वारा बड़े पैमाने पर हत्याएं किया जाना

\$*27. **श्री प्रफुल्ल गोरड़िया:**
श्री ओंकार सिंह लखावत:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में गत पांच वर्षों के दौरान लूटमार करने वाली सेनाओं द्वारा कितने नरसंहार किए गए हैं और राज्य में विद्यमान निजी सेनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि इन सेनाओं को निरस्त्र करने के लिए राज्य सरकार ने कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में कानून-व्यवस्था तंत्र पूरी तरह से चरमरा जाने पर केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

गृह मंत्री (**श्री लाल कृष्ण आडवाणी**) (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1994 से 1999 (19 फरवरी तक) की अवधि के दौरान बिहार में निजी सेनाओं द्वारा नरसंहार की 25 घटनाएं हुई। इन घटनाओं में 220 व्यक्ति मारे गए थे।

नक्सलवादी हिंसा का मुकाबला करने के लिए बिहार में प्रकट रूप से बड़ी संख्या में निजी सेनाएं बन गई हैं। इनमें से रणवीर सेना सबसे सक्रिय है। हालांकि, रणवीर सेना को राज्य सरकार द्वारा 1995 में विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया था, इसकी गतिविधियां अक्षुण्ण रूप से चलती रहीं।

अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के बाद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत बिहार में 12.2.1999 से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है।

श्री जलालुद्दीन अंसारी: सभापति महोदय, रणवीर सेना बिहार में भूस्वामियों की सेना है और इसका मुख्यलक्ष्य भूमि सुधार कानूनों को न होने देना है, अर्थात जमीन का बंटवारा न हो और गरीबों को जमीन न मिल सके और इसके साथ ही खेतिहर मजदूर, जो न्यूनतम मजदूरी मांगते है, उस न्यूनतम मजदूरी का भी यह विरोध करती है। यह भूस्वामियों की सेना है और इस संबंध में,

\$तारांकित प्रश्न सं॰ 23 और 27 साथ साथ लिये गये।